संख्याः 1942 / VII-II-09 / 98–उद्योग / 2006

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 26 अगस्त 2009

विषयः **वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु औद्योगिक मेले–प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय के पत्र संख्याः 2329 / उ0नि0 / बजट–08 / 06 / 2009–10 दिनांकः 12 अगस्त 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु औद्योगिक मेले–प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार योजनान्तर्गत **रू0 99,00,000 / – लाख (रू0 निन्यानब्बे लाख मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों / आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघंन होता हो।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2010 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2010 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– यदि स्वीकृत धनराशि से कोई निर्माण कार्य कराया जाता है तो नियमानुसार सक्षम स्तर से आगणन अनुमोदित कराने के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी। फर्नीचर / उपकरण आदि का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

4– उपरोक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि धनराशि का आहरण कर उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के पक्ष में आवश्यक व्ययों की पूर्ति हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः515 / XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई 2009 में उल्लिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा,

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 800–अन्य व्यय, 04–औद्योगिक मेले–प्रदर्शनी,

गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार–00, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 303/XXVII(2)/08 दिनांकः 19 अगस्त, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः1942/VII-II-09/98–उद्योग/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. अपर सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2
10. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।